

एफ.सं. 225/138/2008-आईटीए-II

भारत सरकार वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 29th सितंबर, 2008

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत आदेश।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, उड़ीसा राज्य में बाढ़ के कारण उत्पन्न व्यवधान की रिपोर्टों पर विचार करते हुए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा राज्य में आयकर निर्धारितियों के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के तहत कर लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने के साथ-साथ 30 सितम्बर, 2008 तक प्रस्तुत किए जाने वाले आयकर विवरणी दाखिल करने की नियत तिथि को 31 अक्टूबर, 2008 तक बढ़ाता है।

(रेणू जौहरी)

निदेशक (आईटीए-II)

टेलीफैक्स: 23092837

प्रतिलिपि बनाएँ:-

1. पीएस से एफ. एम. / ओएसडी से एफएम/पीएस से एमओएस (आर)/ओएसडी से एमओएस (आर)।
2. पीएस से सचिव (राजस्व)
3. अध्यक्ष (डीटी), सभी सदस्य, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड।
4. सभी डीजीआईटी/सीसीआईटी [सीसीआईटी, भुवनेश्वर आदेश का व्यापक प्रचार कर सकते हैं]।
5. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सभी संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव।
6. डीआईटी (आरएसपी एवं पीआर)/प्रणाली, नई दिल्ली को विभागीय वेबसाइट पर डालकर उचित प्रचार हेतु।
7. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (30 प्रतियां)।
8. संयुक्त सचिव एवं कानूनी सलाहकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली।
9. महानिदेशक, एनएडीटी, नागपुर।
10. द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110003।
11. सभी वाणिज्य मंडल।
12. सभी सीएस आईटी, सीबीडीटी।
13. सीआईटी (ओएसडी), सीबीडीटी के आधिकारिक प्रवक्ता।

(रेणू जौहरी)

निदेशक (आईटीए-II)